

आवास सहायता योजना (for SC & ST Students)

दिनांक:- 25/01/2024

सत्र 2023-24 SC/ST (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के आवास सहायता योजनांतर्गत नवीन/नवीनीकरण आवेदन हेतु

विशेष:- विद्यार्थी किसी अन्य योजना का लाभ ले रहा हो तो कृपया आवेदन नहीं करें।

इस योजना के सम्बन्ध में ऑनलाइन फॉर्म के साथ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वाले सभी डाकुमेंट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करें :-

1. वर्तमान निवास के लोकल पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन लैटर।
2. मकान मालिक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र। (स्टाम्प पेपर में)
3. माकन मालिक की आई.डी.। (आधार कार्ड की प्रति)
4. रेवेन्यू stamped वाला हाउस रेंट की रिसिप्ट।
5. माता/पिता/विद्यार्थी द्वारा मकान नहीं होने का शपथ पत्र। (स्टाम्प पेपर में)
6. आवास सहायता योजना का शपथ पत्र एवं सरकार द्वारा चलित छात्रावास के अधीक्षक का प्रमाणित पत्र (यह की स्थान न होने के कारण प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं)।

नोट:- सभी दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी (सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर)
(Attested By Government Gazetted Officer)


प्राचार्य
PRINCIPAL
St. Aloysius College (Autonomous)
JABALPUR-482001 (M.P.)
INDIA